न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 91/2016 दायरा दिनांक : 15.02.2016

उनवान

कांति बाई आयु 36 वर्ष पत्नी करनसिंह, जाति किराड, निवासी मुंगावली, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– कल्याण पुत्र मोती लाल, जाति किराड, निवासी मुंगावली, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– रघुवीर पुत्र मोती लाल, जाति किराड, निवासी मुंगावली, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद के प्रकरण संख्या – 10/2014 निर्णय दिनांक 11.01.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आंवटन अधिनियम 1970 पेश कर यह कथन किया गया कि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 27.08.92 को ग्राम मुंगावली, तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 2 बीघा कुल 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 और 2 को संयुक्त रूप से आवंटित की है जो आवंटन नियमों के विपरीत है । अप्रार्थीगण सगे भाई हैं इनके परिवारजन के खाते करीब 43 बीघा सिंचित भूमि है इसके अलावा 40 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा है । छल कपट कर आवंटन करवाया है । अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि और प्रार्थिया के खाते की आराजी का एक ही चक है जिसे हन्नू ढीमर काश्त करता था । हन्नू ढीमर ने खसरा नमबर 33 की भूमि सन् 2007 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थिया को विक्रय की थी और अप्रार्थीगण को आवंटित आराजी का कब्जा भी दिया था जिसमें लगातार प्रार्थिया का कब्जा है । आवंटन के समय आराजी खाली नही थी । अप्रार्थीगण को आज तक दखल नहीं दिया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी यह कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 34 की आराजी पर कब्जा नहीं है । आवंटन पंचायत मुख्याल पर नहीं किया जाकर शाहबाद में किया गया है । आवंटन अपूर्ण आवंटन कमेटी के द्वारा किया गया है और प्रार्थीगण आवंटन समिति के सदस्य सरपंच जगदीश चन्द मेहता के परिवार से ही है । बिना कब्जे के गलत रूप से खातेदारी दी गई है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 11.01.2016 को

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा नहीं है । आवंटी तत्कालीन सरपंच के रिश्तेदार थे । आर आर डी 2009 पेज 94 के अनुसार आवंटन निरस्त हाने योग्य है । रेस्पोडेंटगण ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी शाहबाद के समक्ष पेश किया है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसको कब्जा नहीं होने के आधार पर निरस्त किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा आवंटन के बाद कभी भी रेस्पोडेंटगण का नहीं रहा है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली में सलंग्न है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । रेस्पोडेंटगण तत्कालीन सरपंच जो आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य थे के रिश्तेदार हें । भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं । अपीलांटगण के खिलाफ रेस्पोडेंटगण का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र कब्जा नहीं होने के आधार पर खारिज हो चुका है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2009 पेज 94 उद्धरत की ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंटगण भूमिहीन है । पिता के खाते में 16 बीघा और 9 बीघा 10 बिस्वा आराजी थी । रेस्पोडेंटगण की पृथक यूनिट है । रेस्पोडेंटगण के खाते में आराजी बहैसियत खातेदार दर्ज हो चुकी है । अपीलांट यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि रेस्पोडेंट भूमिहीन नहीं थे । प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न है । जिसमें कल्याण और रघुवीर रेस्पोडेंटगण को वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह अंकित है कि पिता के खाते में 9 बीघा 10 बिस्वा और 16 बीघा आराजी दर्ज है । तीन भाई मौजूद हैं । नामान्तरकरण संख्या 191 की प्रमाणित प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार रेस्पोडेंटगण को वादग्रस्त आराजी की गैर खातेदारी दी गई है । पटवारी हल्का की पैमाईश रिपोर्ट सलंग्न है यह दिनांक 27.05.2013 की है इसके अनुसार खातेदार का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार रेस्पोडेंट कल्याण पुत्र मोती लाल, तुलसी पत्नी कल्याण के खाते में खसरानम्बर 45 की 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार कल्याण, रघुवीर पुत्र मोती लाल के खाते में आवंटित आराजी खसरा नम्बर 34 और 45/1 के अलावा खसरा नम्बर 294 की 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 297 की 4 बीघा 10 बिस्वा कुल 4 किता की 9 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबंदी सक्वत 2068–71 के अनुसार कल्याण, रघुवीर, बनवारी पुत्र कलिया, रामा पुत्री मोती लाल के खाते में 3 किता की 19 बीघा आराजी दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार तुलसी बाई पत्नी कल्याण के खाते में खसरा नम्बर 32 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबंदी

सम्वत 2068–71 के अनुसार कल्याण पुत्र मोती लाल के खाते में दो किता की 9 बीघा 2 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार कांति बाई पत्नी करण सिंह के खाते में 3 किता की 5 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है ।

8 अपीलांट के द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेंट आवंटी आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य जगदीश चन्दमेहता के रिश्तेदार है । इस क्रम में उनके द्वारा आर आर डी 2009 पेज 94 भी उद्धरित की गई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट विवेचना नहीं की है कि रेस्पोडेंट आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य सरपंच जगदीश चन्द मेहता के रिश्तेदार है अथवा नहीं । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो जमाबंदी की प्रतियां सलंग्न की गई है, उसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते में खसरा नम्बर 45 की 2 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 के संयुक्त खाते में कुल 4 किता की 9 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 व बनवारी कालिया, रामू के संयुक्त खाते की 3 किता की 19 बीघा तुलसां बाई पत्नी कल्याण के खाते में 1 किता की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी, कल्याण के खाते में 2 किता की 9 बीघा 2 बिस्वा आराजी दर्ज है । इस प्रकार रेस्पोडेंटगण के खाते में जो ये आराजियात दर्ज है उनके आधार पर वो तत्समय भूमिहीन की श्रेणी में आते थे अथवा नहीं, इस तथ्य की भी जांच किया जाना आवश्यक है । इनके खाते में दर्ज आराजियात वक्त आवंटन इनके खाते में दर्ज थी अथवा नहीं, यह जांच किया जाना भी आवश्यक है । इनके पिता के व इनके खाते में वक्त आवंटन पटवारी की रिपोर्ट में अंकित आराजीयात से अधिक आराजियात दर्ज थी अथवा नहीं यह जांच किया जाना भी आवश्यक है जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है । इन समस्त बिन्दुओं की जांच के उपरान्त ही यह निर्धारण हो सकता है कि आवंटन के समय आवंटीगण भूमिहीन की श्रेणी में आते थे अथवा नहीं एवं आवंटन के समय उनके एवं उनके पिता के खाते में दर्ज समस्त

आराजियात की रिपोर्ट की गई थी अथवा नहीं । जांच रिपोर्ट के उपरान्त ही यह निर्धारण हो पायेगा कि आवंटन कपटपूर्वक किया गया था अथवा नहीं । इन तथ्यों के आधार पर इन बिन्दुओं के बाबत विस्तृत जांच हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

9 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन के अनुसार विस्तृत जांच रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होवें ।

10 निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा